



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

आरोपी मोहित को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 06 माह 15 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2017 में अभियुक्त मोहित पुत्र बीरपाल निवासी रहतना थाना दोघट जनपद बागपत के विरुद्ध थाना दोघट पर मु0अ0सं0 402/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 12.12.2025 को मा0 न्यायालय सीजे (एस0डि0) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मोहित को दोषी पाते हुए 06 माह 15 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में चोरी की घटना कारित करने के आरोपी गुड्डू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष 15 दिन का कारावास व 1500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त गुड्डू पुत्र धर्मबीर निवासी निवासी कसेरवा थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली द्वारा चोरी करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 337/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 12.12.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त गुड्डू को दोषी पाते हुए 01 वर्ष 15 दिन के कारावास व 1500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में पुलिस पार्टी पर फायर करने की घटना कारित करने के आरोपियों अंशु उर्फ अजय व बादल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष का कारावास व 3,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1.अंशु उर्फ अजय पुत्र सतवीर निवासी ग्राम सोन्टी थाना बाबरी जनपद शामली व 2.बादल पुत्र बबलू निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 108/2020 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं0 109/2020 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, पंजीकृत किये गये थे। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 12.12.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों अंशु उर्फ अजय व बादल को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 05 वर्ष के कारावास व 3000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में अपहरण करने वाले आरोपी प्रेम सिंह को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष 14 दिन का कारावास व 2500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में अभियुक्त प्रेम सिंह पुत्र धनसिंह निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वादिया की पुत्री नाबालिग बच्ची का अपहरण करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 163/22 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 12.12.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0/सी0डि0 एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त प्रेम सिंह को दोषी पाते हुए 02 वर्ष 14 दिन के कारावास व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 12-12-2025

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 396/25 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 396/25 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सोनू पुत्र कल्लू प्रधान निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री सुखपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-म0उ0.नि0 दीपशिखा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 12.12.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 341/25 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर वादी का चोरी किया हुआ पर्स जिसमें वादी की आईडी व 500 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.10.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री सुन्दर कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त अरविन्द पुत्र बारू निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वादी के बैग से 45000 रुपये व पर्स चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 341/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 341/25 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही से वादी का चुराया हुआ एक पर्स जिसमें वादी की आईडी व अन्य कागजात व नगद 500 रुपये बरामद हुए हैं।

अभियुक्त से बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरविन्द पुत्र बारू निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत उम्र 28 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- एक पर्स जिसमें वादी की आईडी व अन्य कागजात व नगद 500 रुपये ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 375/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तितावी जनपद मुजफ्फर नगर
2. मु0अ0सं0 136/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना दोघट जनपद बागपत
3. मु0अ0सं0 137/25 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत
4. मु0अ0सं0 242/22 धारा 394/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत
5. मु0अ0सं0 03/2023 धारा 386/506/34 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत
6. मु0अ0सं0 341/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बिनौली बागपत ।
2. है0का0 231 सतेन्द्र नागर थाना बिनौली बागपत ।
3. है0का0 222 अनुज कुमार थाना बिनौली बागपत ।





प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 12.12.2025

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सचिन पुत्र बालकिशन निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 30 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2-है0का0 354 निलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत